रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2015/भाद्र 4, 1937
No. 291] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 19 अगस्त, 2015

सं.टीएएमपी/33/2007-सीओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, कोंच्चिन पत्तन न्यास के पत्तन भूखंडों के पट्टेदारी किराये की वैधता को यहाँ इसके साथ संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/33/2007-सीओपीटी

कोंच्चिन पत्तन न्यास --- आवेदक

गणपूर्ति:

1. श्री टी.एस.बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)
2. श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अगस्त 2015 के 17 वें दिन पारित)

यह प्रकरण कोंच्चिन पत्तन न्यास (सीओपीटी) के पत्तन भूखंडों के पट्टेदारी किरायों की वैधता से संबंधित है।

2.1 सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के लिए पट्टेदारी किराए प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/33/2007-सीओपीटी, दिनांक 4 मई, 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे। कथित आदेश भारत का

राजपत्र में राजपत्र सं. 160 के माध्यम से 11 जून, 2010 को अधिसूचित किया गया था । सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के लिए प्राधिकरण द्वारा संशोधित पट्टेदारी किराए 11 जुलाई 2015 अर्थात पाँच वर्ष के लिए वैध थे ।

2.2 जैसा कि पत्तन भूखंडों के पट्टेदारी किरायों की वैधता समाप्त होने वाली थी, हमने दिनांक 22 जून, 2015 के अपने पत्र द्वारा सीओपीटी से अनुरोध किया था कि वह, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा जारी किए गए 'महापत्तनों के लिए भूमि नीति मार्गदर्शी, 2014' के अनुसरण में सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के पट्टेदारी किरायों के संशोधन हेतु अपना प्रस्ताव दाखिल करें ।

3.1 सीओपीटी ने दिनांक 30 जून, 2015 के अपने पत्र द्वारा बताया है कि पत्तन ने पत्तन भूखंडों के मूल्य निर्धारण के लिए भूमि मूल्य निर्धारक के रूप में सलाहकार नियुक्त किए हैं । सीओपीटी ने आगे बताया है कि भूमि नीति मार्गदर्शी 2014 की धारा 18 (ख) के अनुसार भूखंड आबंटन समिति को, सलाहकारों द्वारा अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद पत्तन भूखंडों के आरक्षित मूल्यों पर विचार विमर्श कर उन्हें फाइनल करना होगा । यह प्रक्रिया सितम्बर, 2015 के अंत तक ही पूरी होने की संभावना है ।

3.2 उपरोक्त स्थिति को देखते हुए सीओपीटी ने पट्टेदारी किराए और लाइसैंस शुल्क की दरों के संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल करने हेतु 30 सितम्बर, 2015 तक के समय-विस्तार हेतु अनुरोध किया है। सीओपीटी ने 30 सितम्बर 2015 तक प्रचलित दरमान के अनुसार प्रभार लगाने की अनुमति मांगी है ।

4.1 सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के लिए वर्तमान पट्टेदारी किरायों की वैधता 11 जुलाई, 2015 को समाप्त हो गई । सीओपोटी ने अपने पत्तन भूखंडों के लिए पट्टेदारी किरायों के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करने हेतु 30 सितम्बर, 2015 तक का समय मांगा है । जैसाकि सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के लिए पट्टेदारी किरायों की वैधता 11 जुलाई, 2015 को समाप्त हो गई है, यह प्राधिकरण सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के लिए प्रचलित पट्टेदारी किरायों की वैधता को इनकी समाप्ति की तिथि से 30 सितम्बर, 2015 तक या, सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के संशोधित पट्टेदारी किरायों की अधिसूचना के लागू होने की तिथि –इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है ।

4.2 मई, 2010 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टेदारी किराये की अनुसूची में सामान्य नोट 1 विशिष्ट शर्त प्रदान करता है कि प्रदत्त पट्टेदारी किराया, सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शियों के अनुरूप 2% की दर से वार्षिक वृद्धि लागू की जानी जारी रहेगी । वार्षिक वृद्धि की धारा भी भूमि नीति मार्गदर्शी 2014 के अनुरूप है ।

4.3 तथापि इस संबंध में यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि 2% की वार्षिक वृद्धि के साथ प्रचलित पट्टेदारी किरायों की वैधता को विस्तार वर्तमान परिदृश्य में शून्य से बचने के लिए एक अन्तरिम व्यवस्था भर है । सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के लिए निर्धारित किए जाने वाले पट्टेदारी किराए, सोओपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव पर आधारित होंगे ।

5. परिणामस्वरूप, और ऊपर प्रदत्त कारणों से और समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण आदेश सं. टीएएमपी/33/2007-सीओपीटी दिनांक 4 मई, 2010 के माध्यम से सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के लिए अनुमोदित वर्तमान पट्टेदारी किरायों की वैधता को वर्तमान पट्टेदारी किरायों में 2% वार्षिक की वृद्धि के साथ इसकी समाप्ति की तिथि से 30 सितम्बर, 2015 तक या सीओपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर, सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के संशोधित पट्टेदारी किरायों की अधिसूचने के लागू होने की तिथि, इनमें से जो भी पहले हो तक विस्तार प्रदान करता है । सीओपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह अपने पत्तन भूखंडों के

लिए पट्टेदारी किरायों के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव 30 सितम्बर, 2015 तक दाखिल करे जैसाकि प्रयोज्य 2014 के भूमि नीति मार्गदर्शियों का अनुपालन करते हुए सीओपीटी द्वारा स्वीकार किया गया था ।

टी. एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/2015(176)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th August, 2015

No. TAMP/33/2007-COPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the lease rentals for port lands of Cochin Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/33/2007-COPT

Cochin Port Trust **…** **Applicant**

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 17th day of August 2015)

This case relates to extension of the validity of lease rentals for port lands of the Cochin Port Trust (COPT).

2.1. The lease rentals for port lands of COPT was last revised by the Authority vide Order No.TAMP/33/2007-COPT dated 4 May 2010. The said Order was notified in the Gazette of India on 11 June 2010 vide Gazette No.160. The lease rentals for the port lands of COPT revised by the Authority were valid for five years, i.e. upto 11 July 2015.

2.2. As the validity of the lease rentals for port lands was to expire, we had vide our letter dated 22 June 2015 requested the COPT to file its proposal for revision of lease rentals of port lands of COPT following the Land Policy Guidelines for Major Ports, 2014 issued by the Ministry of Shipping (MOS).

3.1. The COPT vide its letter dated 30 June 2015 has stated that the port has appointed Consultants as the land valuer for the valuation of the port lands. The COPT has further stated that as per Clause 18 (b) of the Land Policy Guidelines 2014, the Land Allotment Committee will have to deliberate and finalise the reserve price of port lands after the Consultant submits their final report. This exercise is expected to be over only by the end of September 2015.

3.2. In view of the above position, the COPT has requested for extension of time upto 30 September 2015 to file the proposal for revision of rates for lease rent and licence fee. The COPT has also requested to permit it to levy the charges as per the existing SOR till 30 September 2015.

4.1. The validity of the existing lease rentals for port lands of COPT expired on 11 July 2015. The COPT has sought time till 30 September 2015 to file its proposal for lease rentals for port lands of COPT. As the validity of the lease rentals for port lands of COPT expired on 11 July 2015, this Authority extends the validity of the existing lease rentals for port lands of COPT from the date of its expiry till 30 September 2015 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals of port lands of COPT based on the tariff proposal to be filed by the COPT, whichever is earlier.

4.2. The General Note 1 in the Schedule of lease rent approved by this Authority in May 2010 prescribes a specific condition that the lease rent prescribed is subject to automatic annual escalation @ 2% in line with the guidelines issued by the Government. That being so, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the lease rentals for port lands of COPT. The annual escalation clause is also in line with the Land Policy Guidelines, 2014.

4.3. However, in this regard, it is relevant here to mention that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the port lands of COPT will be based on a proposal to be filed by the COPT.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing lease rentals for port lands of COPT approved vide Order No.TAMP/33/2007-COPT dated 4 May 2010 from the date of its expiry till 30 September 2015 or date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the COPT, whichever is earlier, with an annual escalation of 2%. The COPT is directed to file its proposal for revision of lease rents for port lands by 30 September 2015 as agreed by the COPT following the applicable Land Policy Guidelines of 2014.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/2015(176)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.